संख्या– 01 /I/2016-03(1)/25/2010

प्रेषक,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उरेडा,
देहरादून।

संख्या 209 सचिव/सू0प्रौ0/वि0प्रौ0/ 22/01/2016
दिनांक 27/01/2016
(दीपक कुमार)
सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी
उत्तराखण्ड शासन

ऊर्जा अनुभाग–01 **देहरादून: दिनांक 20 जनवरी, 2016**

विषय :–वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजना के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय हेतु प्राविधानित रू0 10.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–321XXVII (1) / 2012, दिनांक 19.06.2012 एवं आपके पत्र संख्याः 1572 / उरेडा / 9–1(206)ब0आ0 / 2014, दिनांक 16.10.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजना (सामान्य) के आयोजनागत मद में **रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख मात्र)** की धनराशि प्रशासनिक व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(I) स्वीकृत धनराशि का बिल निदेशक, उरेडा द्वारा तैयार कर सहायक विद्युत निरीक्षक, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरित के उपरान्त देहरादून, कोषागार में आवश्यकतानुसार ही धनराशि का आहरण किया जायेगा। तदोपरान्त निदेशक, उरेडा द्वारा सम्बन्धित जिलों को धनराशि प्रेषित की जायेगी एवं जनपदवार प्रेषित की गई धनराशि की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। धनराशि आहरण कर उसे 31–03–2016 तक व्यय कर लिया जायेगा एवं अनावश्यक रूप से धनराशि को बैंकों में पार्किंग कर नहीं रखा जायेगा।

(II) व्यय करने से पूर्व बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, शासन के मितव्ययता विषयक आदेश व तद्‌विषयक आदशों का अनुपालन किया जायेगा।

(III) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र, योजनावार व्यय विवरण एवं योजनाओं की वित्तीय/भौतिक प्रगति आदि का विवरण यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा। केन्द्र पोषित योजनाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार एवं राज्य सरकार को भी समयबद्ध रूप से प्रेषित किया जायेगा।

(IV) व्यय उन्हीं मदों से किया जाएगा जिनके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(V) योजनान्तर्गत सम्बन्धित योजनाओं/कार्यों हेतु केन्द्रांश की प्राप्ति भी समय से कर ली जायेगी तथा योजना/कार्यवार प्राप्त केन्द्रांश का विवरण तथा तद्‌क्रम में प्रत्येक योजना/कार्यवार कुल लागत/ व्यय धनराशि के सापेक्ष व्यय किये गये केन्द्रांश व राज्यांश का विवरण भी शासन में वित्त विभाग को समय से प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(VI) स्वीकृत की जा रही धनराशि का एक मुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसार ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।

क्रमशः...........

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–21 के अंतर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक 2810–वैकल्पिक ऊर्जा –60–ऊर्जा के अन्य स्रोत–800–अन्य व्यय–03 प्रशासनिक व्यय–01–उरेडा के लिये अनुदान–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता –आयोजनागत मद के नामे में डाला जाएगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–755/XXVII(2)/2015, दिनांकः– 13 जनवरी, 2016 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 01 /I/2016-03(1)/25/2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखंड, देहरादून।
2– जिलाधिकारी, देहरादून।
3– कोषाधिकारी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–2/नियोजन विभाग।
5– सहायक विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, देहरादून।
6– सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
7– सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखंड शासन/एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।